राजस्थान में बिजली का बिल जून माह से मारेगा 'करंट'

गहलोत सरकार प्रति यूनिट 52 पैसे अधिक वसूलेगी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। महंगाई राहत शिविर के बीच राजस्थान में जून माह का बिजली का बिल महंगाई का 'करंट' मारेगा। यानि कि 1 जून से ऊर्जा विभाग उपभोक्ताओं से 52 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज का वसूल करेगा। सरकार ने लगातार तीसरे माह भी फ्यूल सरचार्ज लगाया है। इसके लिए जयपुर डिस्कॉम ने आदेश जारी कर दिए है।

सरकार इससे पहले मई माह के बिजली बिल में भी 45 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज वसूल कर रही है। अब ऊर्जा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की तृतीय तिमाही अक्टूबर से दिसम्बर 2022 के लिए फ्यूल सरचार्ज की दर 52 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित की

■ **सरकार ने लगातार तीसरे माह भी फ्यूल सरचार्ज लगाया**

है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 52 पैसे प्रति यूनिट अधिक चुकाने होंगे। जबकि द्वितीय तिमाही के लिए फ्यूल सरचार्ज की दर 45 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित की थी।

ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव व अध्यक्ष डिस्कॉम्स भास्कर.ए. सावंत ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की तृतीय तिमाही अक्टूबर, 2022 से दिसम्बर, 2022 के लिए विद्युत विनियामक आयोग की ओर से निर्धारित गणना के अनुसार फ्यूल सरचार्ज 52 पैसे प्रति यूनिट उपभोक्ताओं से वसूलना है। यह राशि पिछली तिमाही जुलाई से सितम्बर, 2022 के उपभोग पर वसूल करनी है। विभाग फ्यूल सरचार्ज वसूल करने के पीछे गत महीनों का बकाया सरचार्ज बता रहा है। वहीं विद्युत खरीद की दर अधिक व कोयला महंगा होने का तर्क दिया जा रहा है।

अध्यक्ष डिस्कॉम्स भास्कर.ए. सावंत ने बताया कि डिस्कॉम विद्युत आपूर्ति के लिए विभिन्न स्त्रोतों से राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) की ओर से निर्धारित स्थायी व परिवर्तनीय दर से बिजली क्रय करता है। विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ विनियम-2019 के प्रावधान के अनुसार विद्युत खरीद की अनुमोदित परिवर्तित दर व विद्युत खरीद की वास्तविक परिवर्तित दर का अन्तर फ्यूल सरचार्ज के रूप में त्रैमासिक आधार पर डिस्कॉम की ओर से विद्युत उपभोक्ताओं से वसूल करने का प्रावधान है।

सावंत ने बताया कि सरकार की ओर से 100 यूनिट प्रतिमाह तक विद्युत उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है, इससे प्रदेश के लगभग 1.04 करोड़ घरेलू उपभोक्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं 15.70 लाख कृषि उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज की राशि का कोई प्रभाव नही पड़ेगा। इनका भार सरकार वहन करेगी।

बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के विरूद्ध सघन अभियान आज

जयपुर। प्रदेश में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं में दुपहिया वाहन चालकों व सवारी की होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए शनिवार को बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों के विरूद्ध एक दिवसीय सघन अभियान चलाकर कार्रवाई की जायेगी।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात वी.के. सिंह ने बताया कि यातायात पुलिस द्वारा प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि संभावित दुर्घटना संभाव्य स्थलों को चिह्नित कर विभिन्न एजेसियों के साथ दुपहिया वाहन चालकों एवं सवारी की समन्वय स्थापित कर उनमें तकनीकी सुधार भी निरन्तर करवाये जा रहे हैं।

सड़क दुर्घटनाओं में विशेष रूप से मई माह में होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक यह सघन अभियान चलाया जायेगा। इस दौरान बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ ही जागरूकता के भी प्रयास किये जायेंगे।

केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने केंद्रीय संस्थानों का निरीक्षण किया

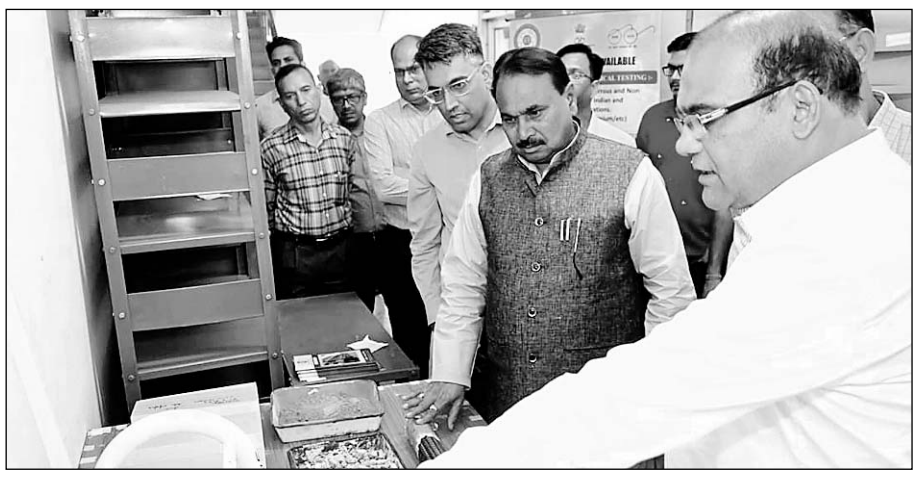

जयपुर, (का.सं.)। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने आज जयपुर में एमएसएमई विकास एवं सुविधा कार्यालय (एमएसएमई, डीएफओ) जयपुर में एमएसएमई मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

वर्मा ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का दौरा किया। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक आईएसओ 9001-2015 प्रमाणित भारत सरकार उद्यम है। एनएसआईसी देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने, सहायता और बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। एनएसआईसी देश में कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। भानु प्रताप सिंह वर्मा ने राजभवन, जयपुर का दौरा भी किया।

एक सप्ताह में अदा करो दस लाख का मुआवजा : हाईकोर्ट

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने 21 साल पहले 2002 में सोडाला थाना इलाके में वकील पीसी स्वामी के अप्रूव्ड भूखंड पर बनाए मकान में तोड़फोड़ के मामले में अदालती आदेश के बाद भी नगर निगम के तत्कालीन अफसरों द्वारा प्रार्थी पक्ष को दस लाख रुपए मुआवजा नहीं देने को गंभीर माना है। इसके साथ ही अदालत ने स्वायत्त शासन विभाग के सचिव, नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर विजय पाल सिंह व सिविल लाइन जोन के तत्कालीन कमिश्नर देवेन्द्र कुमार को निर्देश दिए हैं कि वे एक सप्ताह में 50 हजार रुपए के अतिरिक्त हर्जाना राशि के साथ प्रार्थी

■ **'50 हजार का हर्जाना अलग से देना होगा'**

पक्ष को दस लाख रुपए मुआवजा राशि भुगतान करें। अदालत ने कहा कि आदेश की पालना नहीं होने पर संबंधित अफसर अदालत में 18 मई को शपथ पत्र सहित हाजिर होकर स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने आदेश की पालना क्यों नहीं की। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल ने यह आदेश मृतक वकील पीसी स्वामी के वारिसों की अवमानना याचिका पर दिए। अदालत ने कहा कि यह बड़ा चौंकाने वाला है कि आदेश के चार साल बाद भी पालना नहीं हुई और अब दो सप्ताह का समय मांगा जा रहा है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने मई 2019 को नगर निगम को निर्देश दिया था कि वह पीसी स्वामी के मकान में की गई तोड़फोड़ की एवज में उन्हें दस लाख रुपए मुआवजा एक महीने में दे। इसके साथ ही मुआवजा राशि नगर निगम के संबंधित अफसर व कर्मचारियों से वसूलकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, लेकिन इस आदेश की पालना नहीं हुई। दरअसल याचिकाकर्ता के पिता ने वर्ष 2002 में जेडीए से अप्रूव्ड भूखंड खरीदकर उस पर मकान बनाया। इस दौरान नगर निगम के दो कर्मचारी उसके मकान पर पहुंचे और उससे 15 हजार रुपए रिश्वत मांगी अन्यथा उसका मकान तोड़ने की धमकी दी।

वहीं दूसरे दिन निगम कर्मचारियों ने उसके मकान में तोड़फोड़ कर दी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए प्रार्थी ने कहा कि उसका 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, इसलिए उसे नगर निगम से मुआवजा दिया जाए। अदालत ने उनकी याचिका मंजूर कर नगर निगम को उसे दस लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था।

'विविधताओं से भरा भारत सांस्कृतिक रूप से एक'

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र से शुक्रवार को राजभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा से आए युवाओं ने मुलाकात की।

राज्यपाल मिश्र ने इन युवाओं से संवाद के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की सराहना करते हुए कहा कि विविधताओं से भरा भारत सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से एक है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से युवा सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के नजदीक आते हैं और उन्हें भिन्न-भिन्न राज्यों की भाषा-बोली, खान-पान, सभ्यता-संस्कृति को जानने-समझने का अवसर मिलता है।

'आठ करोड़ अधिक घरेलू पर्यटक आये'

जयपुर, (का.सं.)।भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के राजस्थान चैप्टर ने शुक्रवार को होटल द रॉयल आर्किड, जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स कॉन्क्लेव के प्रथम संस्करण का आयोजन हुआ। इस आयोजन में मुख्य अतिथि, राज्य मंत्री, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड और अध्यक्ष राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, राजीव अरोड़ा ने कहा, "वर्ष 2019 की तुलना में राजस्थान में 8 करोड़ अधिक घरेलू पर्यटक आए हैं। यह दर्शाता है कि गोवा और केरल की तरह, राजस्थान पर्यटन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मेलों और धार्मिक पर्यटन ने राज्य को आकर्षक बना दिया है।"

भूखंड का कब्जा पूर्व राजपरिवार के सदस्य पदमनाभ को सौंपने का आदेश

जयपुर, (का.सं.)। अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने राजमहल पैलेस आउट हाउस के कब्जाधारियों को आदेश दिए हैं कि वह कब्जा खाली कर संपत्ति दो माह में पूर्व राजपरिवार के सदस्य पद्मनाभ सिंह को दो माह में सौंपे। वहीं इस दौरान संपत्ति में किसी तरह की तोड़फोड़, निर्माण और विक्रय आदि ना करें। अदालत ने यह आदेश पद्मनाभ सिंह के दावे पर दिए।

दावे में कहा गया कि पूर्व राजपरिवार की संपत्ति में राजमहल पैलेस का विवादित आउट हाउस भी है। प्रतिवादी के परिजन नरेन्द्र मोहन सक्सेना वादी के यहां सेवारत थे और उन्हें सेवा में रहने के लिए यह संपत्ति बतौर लाइसेंसी रहने के लिए दी गई थी। इनका स्वर्गवास होने पर परिजनों के निवेदन पर उन्हें यह जगह रहने के लिए दी गई। प्रतिवादी की मां का छह साल पहले स्वर्गवास होने के कारण संपत्ति का रिहाइश लाइसेंस स्वत: ही समाप्त हो गया। इसके बाद भी प्रतिवादियों ने कब्जा खाली नहीं किया और इस जगह को कारखाने के तौर पर काम लेना शुरू कर दिया। ऐसे में संपत्ति का कब्जा खाली कराकर उसका कब्जा वादी को सौंपा जाए। जिसका विरोध करने पर प्रतिवादी अंशु सक्सेना और सौम्या सक्सेना ने कहा कि विवादित संपत्ति वादी की संपत्ति नहीं है। वादी ने विवादित जमीन और आसपास की अन्य जमीन का दावा जेडीए में कर रखा है। प्रतिवादी के नाना राजकीय सेवा में तहसीलदार थे। उन्होंने सन् 1952 में अन्य व्यक्तियों की तरफ से सरकारी भूमि पर कब्जा कर निर्माण कराया था। वे अपने परिवार सहित इस मकान में रहते थे। उन्हें विवादित संपत्ति बतौर लाइसेंसी नहीं दी गई थी। ऐसे में वह संपत्ति को खाली करने के लिए बाध्य नहीं है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने प्रतिवादियों को कहा है कि वह दो माह में संपत्ति का कब्जा वादी पद्मनाभ सिंह को सौंपे।

नाइजीरियन ठग सहित महिला की जमानत अर्जी खारिज

जयपुर, (का.सं.)। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-3 महानगर प्रथम ने दोस्ती के झांसे में लेकर साढे छह लाख रुपए की ठगी करने वाले नाइजीरियन ठग एलेक्स सैम्युअल और नागालैंड निवासी महिला हिनोटोली की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

पीड़ित कोमल के अधिवक्ता प्रेमचंद देवन्दा ने अदालत को बताया कि 20 मई, 2022 को पीड़ित के मोबाइल पर एलेक्स ने फोन कर अपने आप को यूके में डॉक्टर कार्तिक होना बताया। इसके बाद दोनों में आए दिन बातचीत होने लगी। पीड़िता के पास 31 मई को कोलकाता एयरपोर्ट से फर्जी कॉल आया कार्तिक उनकी कस्टडी में है और उससे 57 लाख रुपए मिले हैं। इसे बचाने के लिए 52 हजार रुपए खाते में जमा कराए गए। वहीं बाद में भी दो बार में पीड़ित से कुल साढे छह लाख रुपए ठगे गए।

पायलट की जन संघर्ष यात्रा कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार में डूबी होने का प्रमाण : रामलाल

जयपुर। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार के मुखिया कई बार कह चुके हैं कि महँगाई राहत शिविरों में सरकार ने रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। सरकार द्वारा 90 लाख लोगों को राहत पहुँचाने का काम किया है लेकिन यह बात ज़रूर है कि सरकार ने बड़ी-बड़ी उपलब्धि हासिल की है लेकिन ये उपलब्धियां पेपर लीक मामले में, तुष्टिकरण की राजनीति करने में रामनवमी के जुलूस के ऊपर प्रतिबंध लगाने में हासिल की हैं। पहले सरकार के विधायक सिर्फ़ बोलने और सिर्फ़ पत्र लिखने तक सीमित थे लेकिन अब सरकार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट अजमेर से लेकर जयपुर तक जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं और यह सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा इस बात की घोतक है ये पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे हुए सरकार जिस सरकार ने जनहित के काम न करके सिर्फ़ अपनी सरकार को बचाने के लिए उन विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिए जो विधायक नैतिक अनैतिक काम हमेशा सरकार के ऊपर दबाव डालकर करवाते रहे हैं और अब उन विधायकों के कामों को जनता में भी जान चुकी है और मुख्यमंत्री जी का सर्वे कहता है की मेरे सर्वे के अंदर सरकार दोबारा बना रहा हूँ लेकिन मुख्यमंत्री भी जानते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि पहले 156 पर आए थे और 21 पर सिमट गये और अब 21 से कम विधायक से चुनाव जीत के आयेंगे बाकि जीतने वाले नहीं है।

जयपुर बम ब्लास्ट की बरसी पर प्रदर्शन आज

जयपुर। जयपुर में विगत 13 मई 2008 को हुए सीरीयल बम ब्लास्ट की पंद्रहवीं बरसी पर भाजपा की ओर से सुबह 11 से 12 बजे तक जयपुर शहर की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के वार्डों में धरना प्रदर्शन एंव हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक पंकज जोशी ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व विधायक सुरेंद्र पारीक हवामहल विधानसभा, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता किशनपोल, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर व विधायक कालीचरण सर्राफ मालवीय नगर में सम्मिलित होंगे। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया आमेर, भाजपा राष्ट्रीय मंत्री अल्का सिंह गुर्जर और पूर्व विधायक कैलाश वर्मा बगरू, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी व प्रदेश मंत्री अशोक सैनी सिविल लाईन्स, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा धरना प्रदर्शन और हनुमान चालीसा कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।

फ़िल्म 'राजस्थान पुलिस महान' के टाइटल सांग के पोस्टर का विमोचन

जयपुर। पुलिस महानिदेशक साइबर सेक्युरिटी एवं सिविल राइट्स डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में राजस्थान पुलिस के संबंध में प्रोड्यूसर महेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा बनाई जा रही फिल्म 'राजस्थान पुलिस महान' के टाइटल सांग के पोस्टर का विमोचन किया। डॉ. मेहरड़ा ने टाइटल सांग सुनकर विश्वास व्यक्त किया कि इस फिल्म में राजस्थान पुलिस की गौरवमयी परंपराओं के बारे में आमजन को व्यापक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही लोगों को पुलिस के कार्यों में सहयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। फिल्म के प्रोड्यूसर महेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इस फिल्म का प्रदर्शन लगभग 200 प्लेटफॉर्म्स पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिल्म में अधिकांश पात्र राजस्थान पुलिस के ही अधिकारी और कर्मचारी लिए जा रहे हैं।

दक्षिण-पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने शुक्रवार को वायु सेना स्टेशन फलौदी का दौरा किया। ग्रुप कैप्टन राजेश जोशी, स्टेशन कमांडर, वायु सेना स्टेशन फलौदी ने उनका स्वागत किया। एओसी-इन-सी को स्टेशन कमांडर द्वारा वर्तमान परिचालन तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। नवनिर्मित दृश्यम ऑडिटोरियम में स्टेशन के प्रमुख कर्मियों से उनका परिचय कराया गया और उसके बाद एयर मार्शल ने स्टेशन के सभी वायु योद्धाओं को संबोधित किया। उन्होंने एयरोस्पेस सुरक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला और सभी कर्मियों से हर समय उच्च एयरोस्पेस सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

खोया पाया

मेरा बक्शावाला गृहनिर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की स्कीम प्लांट नं. 125, राधा स्वामी नगर मानसरोवर जयपुर का पट्टा खो गया है। मिलने पर सूचित करें-9414973334

मेरे मकान 80/205 अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर का कब्जा-पत्र (Certificate for Handing Over of the house), कहीं खो गया है। कृपया मिलने पर सम्पर्क करें-7221879121

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हम (1) श्रीमती सज्जन कँवर पत्नी स्व. श्री गणपत सिंह, उम्र-70 वर्ष, (2) प्रियंका सिंह, (3) राजेश्वरी सिंह पुत्रीयाँ स्व. श्री गणपत सिंह, युविका कँवर पुत्री स्व. श्री तेजेन्द्र सिंह पौत्री स्व. गणपत सिंह जरिये संरक्षिका प्रियंका सिंह, राजेश्वरी सिंह समस्त जाति राजपूत, समस्त निवासी मकान नं. 1766 कलवाड़ा हाऊस खेजड़ों का रास्ता इन्द्रा बाजार, जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। हमारे पक्ष में स्व. तेजेन्द्र सिंह के द्वारा अपनी समस्त चल, अचल सम्पत्तियों बाबत वसीयत दिनांकित 05.01.2022 को की थी एवं उक्त वसीयत से हमें स्व. तेजेन्द्र सिंह की समस्त चल-अचल सम्पत्तियाँ प्राप्त हुई हैं एवं वसीयत से सम्पूर्ण मालिकाना हक-हकूक प्राप्त हो चुका है एवं स्व. तेजेन्द्र सिंह की समस्त चल व अचल सम्पत्तियों के संबंध में कोई हस्तान्तरण अन्य किसी को होता है तो उक्त वसीयत के माफिक शून्य होगा। स्व. तेजेन्द्र सिंह की सम्पत्तियों के संबंध में कोई भी व्यक्ति, संस्था, सर्वेन्ट, ऐजेन्ट, किसी भी प्रकार का कोई संव्यवहार/हस्तान्तरण करते हैं तो वह अवैध, शुन्य निष्प्रभावी होगा। अतः सूचित रहें।
जयपुर (श्रीमती सज्जन कँवर) (प्रियंका कँवर)
दिनांक-12.05.2023 (राजेश्वरी कँवर)

राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
क्रमांक:- DHC-II/406 जाहिर आम सूचना दिनांक: 12/05/23
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 114/105, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 36.00 वर्ग मीटर / वर्ग गज का आवंटन श्री रामवतार खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री कजोड़ मल को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्र मांक 310 दिनांक 30.11.1987 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 05.01.1988 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 6842 दिनांक 13.10.2006 के द्वारा श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री सांवल दास के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 06.11.2006 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री कन्हैया लाल की मृत्यु दिनांक 17.03.2015 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती रेखा गुरनानी पत्नी स्व. श्री कन्हैया लाल ने मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हक्त्याग पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति / आवेदक श्रीमती रेखा गुरनानी पत्नी स्व. श्री कन्हैया लाल के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। सम्पदा प्रबन्धक, वृत द्वितीय, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
क्रमांक:- DHC-II/406 जाहिर आम सूचना दिनांक: 12/05/23
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 114/105, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 36.00 वर्ग मीटर / वर्ग गज का आवंटन श्री रामवतार खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री कजोड़ मल को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्र मांक 310 दिनांक 30.11.1987 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 05.01.1988 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 6842 दिनांक 13.10.2006 के द्वारा श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री सांवल दास के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 06.11.2006 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री कन्हैया लाल की मृत्यु दिनांक 17.03.2015 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती रेखा गुरनानी पत्नी स्व. श्री कन्हैया लाल ने मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हक्त्याग पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति / आवेदक श्रीमती रेखा गुरनानी पत्नी स्व. श्री कन्हैया लाल के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। सम्पदा प्रबन्धक, वृत द्वितीय, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाड़ी
क्रमांक : 241 आवश्यक सूचना दिनांक : 10/05/23
मूलतः आवास संख्या 5/67 अरावली विहार, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाड़ी श्री रंकर लाल आहरी को आवंटन पत्रांक 1659 दिनांक 31.08.2010 के द्वारा आवंटित किया गया था। मण्डल द्वारा इनके पक्ष में अदेय प्रमाण पत्र संख्या 3248 दिनांक 05.03.2012 को जारी किया जा चुका है। इनके द्वारा उक्त आवास की रजिस्ट्री स्वयं के पक्ष में दिनांक 10.04.2012 को उप पंजीयक कार्यालय भिवाड़ी में पंजीकृत करवाई जा चुकी है। इनके द्वारा उक्त आवास को बेचान उपरान्त मण्डल द्वारा अंतिम क्रेता श्री बेन्दा सिंह पुत्र श्री रोरसिंह एवं श्री कर्मवीर सिंह पुत्र श्री गेन्दा सिंह के संयुक्त नाम से लीज स्थानान्तरण आदेश क्रमांक 2242 दिनांक 16.08.2012 को जारी किया जा चुका है। श्री गेन्दा सिंह की मृत्यु दिनांक 30.11.2016 को हो चुकी है। श्री सुग्रीव सिंह ने प्रार्थना पत्र, आवश्यक प्रपत्र एवं श्री गेन्दा सिंह की मृत्यु का प्रमाण पत्र एंव पंजीकृत वसीयत प्रस्तुत कर निवेदन किया है, उनके पिताजी का स्वर्गवास दिनांक 30.11.2016 को हो जाने के कारण उपरोक्त आवास संख्या 5/67 अरावली विहार, भिवाड़ी जिला अलवर का 1/2 हिस्से का पंजीकृत वसीयत के आधार पर मृत्यु उपरान्त प्रतिस्थापन हस्तांतरण उनके नाम किया जाये। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 5/67 अरावली विहार, भिवाड़ी के संबंध में पिता, पुत्र, पुत्रियां, भाई व अन्य किसी रिश्तेदार को किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाड़ी में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्री सुग्रीव सिंह पुत्र स्व. श्री गेन्दा सिंह के पक्ष में उपरोक्त आवास संख्या 5/67 अरावली विहार, भिवाड़ी जिला अलवर का 1/2 हिस्से का पंजीकृत वसीयत के आधार पर मृत्यु उपरान्त प्रतिस्थापन हस्तांतरण किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
(पी.एल. मीणा)
आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मंडल, खण्ड भिवाड़ी

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाड़ी
आवश्यक सूचना मूलतः मकान 3/229 पुरानी कॉलोनी, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाड़ी श्री सुबेसिंह को आवंटन पत्रांक 848 दिनांक 30.06.1986 के द्वारा आवंटित किया गया था। मण्डल द्वारा इनके पक्ष में अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 595 दिनांक 27.03.2004 को जारी किया जा चुका है। इनके द्वारा उक्त आवास की रजिस्ट्री स्वयं के पक्ष में दिनांक 31.03.2004 को उप पंजियक टपूकडा में पंजीकृत करवाई जा चुकी है। इनके द्वारा दिनांक 26.12.1997 के पंजीकृत मुख्यतारनामा द्वारा श्री मुकेश तनेजा को मुख्यतारआम धारक नियुक्त किया गया। इनके द्वारा मुख्यतारआम धारक की हैसियत से उक्त आवास का बेचान दिनांक 02.04.2004 के पंजीकृत बयनामा द्वारा श्रीमती संगीता तनेजा पत्नी श्री मुकेश तनेजा को किया गया। श्रीमती संगीता तनेजा द्वारा उक्त आवास का बेचान दिनांक 08.09.2022 के पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा श्रीमती जासा पत्नी श्री श्याम बिहारी को किया गया है। श्रीमती जासा द्वारा स्वयं के नाम से आवास का लीज डीड परिवर्तन करने के लिए प्रपत्र एवं प्रशासनिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग दो बार विक्रय का राशि रूपये 2000.00 जमा कराकर चालान व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उक्त मकान का लीज स्थानान्तरण उनके पक्ष में किया जावें। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त मकान संख्या 3/229 पुरानी कॉलोनी, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाड़ी के संबंध में किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाड़ी में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्रीमती जासा पत्नी श्री श्याम बिहारी के पक्ष में मकान संख्या 3/229 पुरानी कॉलोनी, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाड़ी जिला अलवर के लीज स्थानान्तरण की कार्यवाही की जावेगी।
आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाड़ी

नाम परिवर्तन
मैं तेजसिंह आहूजा पुत्र गोविन्द सिंह निवासी-2-क-20, कमला नेहरू नगर, हीरापुरा पावर हाउस, अजमेर रोड, जयपुर घोषणा करता हूँ कि मैंने मेरा नाम आहूजा तेजसिंह गोविन्दसिंह से बदलकर तेजसिंह आहूजा रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें।

मैंने अपना नाम कमल सबनानी से बदलकर लक्ष्य सबनानी रख लिया है। भविष्य में मुझे लक्ष्य सबनानी पुत्र श्री भगवान दास सबनानी निवासी 60/15, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर के नाम से जाना जाये। इस हेतु गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशन दिनांक 13.04.2023 को किया जा चुका हैं।

I have changed my name from Kamal Kishor Bhargawa To Kamal Kishor Bhargav S/o Tikam Chand Bhargav for all purpose. Address:- plot number 13 Kanhaiya Residency, Hatoj, kalwar Road, Jaipur.

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाव्या श्रीमती सज्जन कँवर पत्नी स्वर्गीय श्री गणपत सिंह, उम्र 70 वर्ष जाति राजपूत, निवासी-मकान नं. 1766, कलवाड़ा हाऊस खेजड़ों का रास्ता इन्द्रा बाजार, जयपुर राजस्थान की रहने वाली है। मेरी अभिभाव्या की पुत्रवधु श्रीमती रश्मि कँवर उर्फ देवंका, निवासी ग्राम पाडीव जिला सिरोही राजस्थान मेरी अभिभाव्या से पिछले 10 वर्षों से पृथक निवास कर रही है एवं पूर्व से कहे में नहीं है मेरी अभिभाव्या व रश्मि कँवर के मध्य किसी प्रकार की बोलचाल नहीं है और ना ही किसी प्रकार का रिश्ता है इसलिये मेरी अभिभाव्या अपनी समस्त चल-अचल सम्पति से बेदखल करती है अगर कोई भी व्यक्ति, संस्था, सर्वेन्ट, ऐजेन्ट, किसी भी प्रकार का कोई संव्यवहार मेरी अभिभाव्या की पुत्रवधु रश्मि कँवर से करते है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी। अतः सूचित रहे।
जयपुर (देवकरण) एडवोकेट
दिनाक-12.05.2023 मो.-9929762183

आम सूचना
क्रमांक-01/2023 दिनांक-12.05.2023
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाव्यगण मो. इकाक व मेहरूननिसा निवासी वार्ड नम्बर 9 दलालान का मौल्लला चाकसू जिला जयपुर के पुत्र व पुत्रवधु जिनके नाम शाहरूख खान व हीना खान हैं, मेरे अभिभाव्यगण के कहने में नहीं हैं तथा वे मेरे अभिभाव्यगण के साथ